

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ जयपुर  
पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2021

प्राथना पत्र संख्या 195  
21

सरकार बनाम मालीराम दगै०  
अन्तर्गत धारा 131,132 एल० आर० एक्ट 1956

2021  
427

निर्णय दिनांक: 02.12.21

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार चौमूँ एवं उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के कैम्प आष्टीकलां में रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम आष्टीकलां तहसील चौमूँ के निम्नांकित प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्सा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित भूमि पर मौके पर चालू सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आना बताया जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 131,132 राज० भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण प्रेषित किया है, रिपोर्ट तहसीलदार चौमूँ उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ एवं संरपच ग्राम पंचायत आष्टीकलां के अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से आम रास्ता चालू होने का समाधान होने पर प्राथना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज० भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 व 86 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण के अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम की भूमि में से (मुताबिक एनक्सर-1 व नजरी नक्सा ट्रेस) अनुसार किस्म गै.मू. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खातेदारी भूमि में संलग्न


नक्शा ट्रेस के अनुसार गै०मू० रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

| क्र०स० | नाम राजस्व ग्राम | खं.न. | कुल रकबा (हेक्ट० में) | किस्म | रास्ते दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा (वर्गमीटर में) | वि.वि |
|--------|------------------|-------|-----------------------|-------|--|-------|
| 1.     | आष्टीकलां        | 2173  | 0.36                  | बा 1  | 616  |       |

उक्तानुसार निजी खातेदारी में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित गै०मू० रास्ता दर्ज किया जावेगा।

निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हेतु तहसीलदार चौमूँ को आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.21 को कैम्प कोर्ट में सुनाया गया।

  
[Signature]

कैम्प प्रभारी अधिकारी  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
चौमूँ (जयपुर)